




फर्द अहकाम

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर ग्रामीण  
 नम्बर :- 55/2024

अपेक्षित बनाम राहुत सिंह

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12/24	<p>दावा वकील वादी ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता होकर पेश हुई। बर्तमान प्रार्थी उपस्थित है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाये। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी से जारी होकर पत्रावली दिनांक 14/3/24 को भेज हो।</p> <p style="text-align: right;">               उपखण्ड अधिकारी              चाकसू (जयपुर)           </p>	
14/3/24	<p>पत्रावली आल वकील वादी उपा विद्वा              पत्र पेश करने पर तलब सी.डी              वकील वादी व तलब वादी उपा वकील वादी              ने विद्वा उपा पत्र में जाहिर किया कि.वादी              लॉन उपान्त की भक्ता से दावा विद्वा              करना चाहता है एवं प्रकरण में उपा उपा              कार्यवाही नहीं चाहता है विद्वा उपा पत्र लीखत              होने से दावा विद्वा (आरिज) किया जाता है।              फुल: कुम्भी दावा पेश होने पर 5000/- की              @ कोर्ट न अरी सी पालगी पत्रावली अंगल              शुक्र होकर 4/1 नम्बर लेकत हो।</p> <p style="text-align: right;">               उपखण्ड अधिकारी              चाकसू (जयपुर)           </p>	<p style="text-align: right;">  </p>